जनजातीय कार्य (ST) / अनुसूचित जाति कल्याण (SC) विभाग, मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश:-

यदि आप जनजातीय कार्य (ST)/ अनुसूचित जाति कल्याण (SC) विभाग, मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो नये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनलाइन '<u>हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण</u>' प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना होगा। निकट भविष्य में **जनजातीय कार्य (ST)/ अनुसूचित जाति कल्याण (SC) विभाग, मध्यप्रदेश शासन** की योजनाओं में, निर्माणाधीन नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम समस्त हितग्राहियों **(मध्यप्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) नागरिक एवं अन्य पात्र लाभार्थी)** को स्वयं का प्रोफाइल पंजीकरण करना होगा। यह पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं, इन्टरनेट कीओस्क यथा एमपी ऑनलाइन (MPOnline) / लोक सेवा केंद्र (LSK) / नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) अथवा विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा। यद्यपि यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी तथापि वर्तमान में योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का एक बार (One-time) पंजीयन एक निश्चित समय सीमा में करना रहेगा।

2. हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के समय हितग्राही को निम्नानुसार प्रमुख जानकारी की आवश्यकता होगी-
    - **आधार नंबर**
    - **जाति प्रमाण-पत्र**
    - **समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी**

3. **'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण'** प्रक्रिया सरलता पूर्वक पूर्ण हो इसके लिए आपके द्वारा निम्नानुसार दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए पूर्व तैयारी कर ली जाये-

    3.1. सभी हितग्राहियों द्वारा "आधार" पंजीयन तथा "आधार" में जानकारी को अद्यतन कराना-

    3.1.1. अपने निकटतम 'आधार' पंजीयन केंद्र पर जाकर 'आधार' पंजीयन एवं 'आधार' में जानकारी सही करायें |

    3.1.2. जिन हितग्राहियों के पास पूर्व से "आधार" नंबर है, उन्हें "आधार" में अपना पूरी जानकारी यथा सही नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी), पूर्ण जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY प्रारूप में), सही पता तथा वर्तमान मोबाइल नंबर सही कराना होगा ।

3.1.3. निर्धारित प्रक्रिया के तहत हितग्राही को देय भुगतान उनके "आधार" से लिंक बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे किया जायेगा। हितग्राही का बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाता उसके "आधार" से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी "आधार" की वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper से प्राप्त की जा सकती है। यदि हितग्राही का "आधार" बैंक खाते से लिंक नहीं है अथवा बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाता गलत है तो ऐसी स्थिति में हितग्राही सम्बंधित बैंक/पोस्ट ऑफिस /बैंक द्वारा अधिकृत कियोस्क अथवा प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है। एक संभावना है कि हितग्राही अपना "आधार" बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते से लिंक कराने हेतु अपने माता अथवा पिता के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते की जानकारी देता है, ऐसी स्थिति में हितग्राही का "आधार", बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते से लिंक नहीं हो सकेगा। तब बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा हितग्राही के "आधार" नंबर से जोड़कर उसका नवीन बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाता खोलना होगा, जिससे हितग्राही का आधार नंबर उसके स्वयं के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते से लिंक हो सके।

3.1.4. हितग्राही के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते का "आधार–Authenitcation" कराना। बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते से "आधार" नंबर को लिंक कराने के पश्चात हितग्राही को बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक देकर "आधार–Authenitcation" कराना होगा।

3.2. जाति प्रमाण-पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना -

3.2.1. समस्त हितग्राहियों के पास जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।

3.2.2. यथासंभव समस्त हितग्राहियों के पास ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र हो। **हितग्राही के पास ई-डिस्ट्रिक्ट का डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र होने की स्थिति में प्रोफाइल पंजीकरण के समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज/ हार्डकॉपी की आवश्यकता नहीं होगी** तथा हितग्राही के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने आप हो जाएगा।

3.2.3. स्कूल स्तर पर समस्त छात्र-छात्रा हितग्राहियों के पास ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत प्रदान किये जाते है ।

3.2.4. अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र अथवा वेबसाइट www.mpedistrict.gov.in के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र-बनवाया जा सकता है ।

3.3. समग्र डाटाबेस में जानकारी को सही कराना -

3.3.1. प्रोफाइल पंजीकरण के समय हितग्राही की समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की प्रविष्टि की जाना है।

3.3.2. अपने वार्ड कार्यालय / ग्राम पंचायत पर जाकर अपनी समग्र आईडी को 'आधार' से लिंक करायें एवं समग्र में जानकारी सही करायें |

3.3.3. स्कूल में अध्ययनरत छात्र समग्र आईडी को 'आधार' से लिंक एवं समग्र में जानकारी सही कराने हेतु अपने प्राचार्य से संपर्क कर सकते है ।

3.3.4. "समग्र" में समस्त हितग्राहियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे हितग्राही का सही नाम, परिवार मुखिया से सम्बन्ध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY प्रारूप में), जाति-उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता-पिता का नाम, माता-पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति, एवं छात्र-छात्राओं की शैक्षिक जानकारी जैसे स्कूल का नाम, स्कूल का जिला/विकासखंड, DISE कोड, परीक्षा बोर्ड, शैक्षणिक वर्ष, कक्षा (पूर्व/वर्तमान), पाठ्यक्रम, स्थिति (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण), अंतिम परीक्षा प्रतिशत, स्कूल प्रबंधन कोड आदि को सही कराया जाये (यदि आवश्यक हो तो)।

वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर ऑनलाइन '<u>हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण</u>' के शुरू होने की जानकारी आपको पृथक से दी जाएगी।

'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण' के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के परामर्श हेतु मुख्यालय स्तर पर आईटी सेल, आयुक्त कार्यालय, जनजातीय कार्य विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल में दूरभाष न. 0755-4927346 पर संपर्क किया जा सकता है।

अधिक जानकारी हेतु समय-समय पर वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in देंखे ।